संख्या-7/2016/आडिट-665/दस-2016-322(17)2015

प्रेषक,

विमल किशोर खन्ना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0
नवां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2016

विषय- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, के अन्तर्गत "आहरण एवं वितरण" का प्रभार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी0-1-4496/दस-53/98, दिनांक 29 सितम्बर, 1998 के द्वारा प्रदेश के जनपदों में सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के कार्यालयों के आहरण एवं वितरण के कार्य हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी0डी0ओ0 कोड संख्या-4318 आवंटित किया गया। उक्त के अतिरिक्त वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी0-1-3014/दस-2014-311(2)72, दिनांक 28-11-2014 के द्वारा जनपद कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ, गोरखपुर, फैजाबाद तथा झॉसी में आहरण वितरण का कार्य उक्त जनपद के 'उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को आहरण वितरण अधिकार प्रदान करते हुए डी0डी0ओ0 कोड संख्या-4318 आवंटित किया गया।

2- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक-671/अ-5/2016, दिनांक 24 फरवरी, 2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 'सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय के कुल 58 जनपदीय कार्यालयों के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 05 जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ही उपलब्ध हैं, अत: आहरण एवं वितरण हेतु यथोचित आदेश निर्गत किया जाए।

3- उपरोक्त के दृष्टिगतशासन द्वारा पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 29-9-1998 एवं शासनादेश दिनांक 28-11-14 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिन-जिन जनपदों में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तैनात नहीं है, उन जनपदों में 'सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के कार्यालयों के आहरण वितरण कार्य हेतु उक्त जनपदों के मण्डल में तैनात 'उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी' को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

विमल किशोर खन्ना,
विशेष सचिव।

संख्या-7/2016/आडिट-665(1)/दस-2016,तददिनांक

प्रतिलिपि-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) सम्बन्धित मुख्य कोषा अधिकारी।
(4) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी।
(5) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

विमल किशोर खन्ना,
विशेष सचिव।

h tp://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।